गुजरात सरकार को आवंटन

4017. श्री धर्म सिंह भाई पटेल : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा योजना आयोग के विचारार्थ कुल कितनी राशि का छठी पंच वर्षीय योजना का प्रारूप पेश किया गया और कब पेश किया गया ;

(ख) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) राज्य की जनसख्या को ध्यान मे रखते हुए योजना मे कितने प्रतिशत केन्द्रीय आवंटन का उपबन्ध किया गया है अथवा करने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) गुजरात की छठी पंच वर्षीय योजना मे कुल कितना उपबन्ध किया जाएगा और उसके लिए कितनी राशि के केन्द्रीय ऋण और अनुदान दिये जाएंगे, और

(ङ) गुजरात के सम्बन्ध मे छठी योजना के प्रारूप को कब मंजूर किया गया था और यदि इसे मंजूर नही किया गया है तो इसे कब तथा कैसे मंजूर किया जाएगा ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) गुजरात सरकार ने अपनी 1978–83 की पंच वर्षीय योजना के लिए 3307,61 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया था। प्रारूप प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 1978 मे प्रस्तुत किये गए थे।

(ख) राज्य योजना प्रस्तावो का उद्देश्य है बेरोजगारी और अल्प-रोजगार को दूर करने के राष्ट्रीय लक्ष्यों की दिशा मे त्वरित प्रगति करना, जनसख्या के सबसे अधिक गरीब वर्गों के जीवन-स्तर को उन्नत करना और कम आय वाले समूहो के लोगो की कुछ मूल आवश्यकताओ के लिए व्यवस्था करना, जैसे पीने का पानी, प्रौढ़ साक्षरता, प्रारम्भिक शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास शहरी गंदी बस्तियो का सुधार ; इसका उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था मे पहले की अपेक्षा अधिक उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना तथा आय और सम्पत्ति की वर्तमान असमानताओं मे पर्याप्त कमी करने के लिए प्रयत्न करना भी है।

(ग) से (ङ) . गुजरात की 1978–83 की पंच वर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नही दिया गया है।

Discontentment among Mizoram Civil Service Officers

4018. DR. R. ROTHUAMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the deep resentment and widespread discontent among the Mizoram Civil Service officers with regard to fixation of the *inter-se* seniority recently introduced under the current President's Rule in Mizoram;

(b) if so, steps taken or proposed to be taken for its immediate withdrawal;

(c) whether the present MCS set up being haphazardly introduced with a view to assist the Security Forces in maintaining peace, is far from adequately meeting the legitimate needs of the MCS officers; and

(d) whether Government propose to look into all these and take steps to modify the present MCS system at an early date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL) (a) and (b). The officers who belonged to the Assam Civil Service, Class-II, and who have been appointed to the Mizoram Civil Service, have represented against seniority assigned to them in the Service. Under the provisions of the Mizoram Civil Service Rules, 1977, seniority of officers appointed to the Mizoram Civil Service at its initial constitution, has to be fixed by the Administrator of the Union territory of Mizoram. There is no proposal to alter the seniority of the officers of the Mizoram Civil Service as fixed by the Administrator of Mizoram. Individual cases if any, will be considered on merit in consultation with the Administration.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

New Employments in various Industries

4019. SHRI PADMACHARAN SAMANTASINHERA: Will the Minister of NDUSTRY be pleased to state the total number of employments (new appointments) in the cottage, village, small scale, medium and in